भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3235

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

ई-लोक अदालत को बढ़ावा दिया जाना

3235. श्री अनिल फिरोजिया :

श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया :

श्रीमती भावना गवली (पाटील) :

श्री कृपाल बालाजी तुमाने :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में नागरिकों को शीघ्र और कम खर्च पर न्याय प्रदान करने के लिए ई-लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए देश में और अधिक ई-लोक अदालतें स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में वर्तमान में कार्यरत ई-लोक अदालतों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या ई-लोक अदालतों के कारण उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा ई-लोक अदालतों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं-ई-लोक अदालत के संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया, अधिकारियों से न्यायालय कर्मचारी तक प्रणाली के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण,

मुवक्किलों, अधिवक्ताओं और प्रत्यर्थियों को सुसंगत जानकारी देने/ई-लोक अदालतों में भाग लेने के लिए लिंक और वीडियो कान्फ्रेंसिंग लिंक के लिए वाट्सऐप समूह तथा जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित मामलों की सूची ।

(ख) : ई-लोक अदालत स्थायी स्थापन नहीं है और यह ऐसे समय अंतरालों पर आयोजित की जाती है, जब न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने तथा पूर्व मुकद्दमेबाजी स्तर पर विवादों को निपटाने की आवश्यकता महसूस की जाती है । कोविड महामारी के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वाधान में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों ने ई-लोक अदालत का प्रवीणता के साथ आभासी मंच में ले गए हैं, जिसे ई-लोक अदालत के रूप में जाना जाता है । चूंकि ई-लोक अदालत, नियमित ई-लोक अदालतों के साथ-साथ आयोजित की जाती हैं, इसलिए पीठों का गठन विभिन्न न्यायालयों या अधिकरणों और पूर्व-मुकद्दमेबाजी के लिए संस्थित मामलों द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों की मात्रा के आधार पर किया जाता है ।

(ग) : पहली ई-लोक अदालत का आयोजन 27.06.2020 को मध्य प्रदेश में किया गया था । जून 2020 से जून, 2022 तक महाराष्ट्र सहित 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित ई-लोक अदालतों का ब्यौरा उपाबंध-क में है ।

(घ) : लोक अदालतें, उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों के बढ़ते बकाया को रोकने में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का सबसे प्रभावी तरीका है । ई-लोक अदालतों द्वारा जून 2020 से जून, 2022 की अवधि के दौरान न्यायालयों में 38.36 लाख पूर्व-मुकद्दमेबाजी मामलों और 8.34 लाख लंबित मामलों को निपटाया गया है ।

****

उपाबंध-क

ई-लोक अदालत को बढ़ावा दिया जाना - श्री अनिल फिरोजियां, श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्रीमती भावना गवली (पाटील) और श्री कृपाल बालाजी तुमाने, संसद् सदस्यों द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 †3235, जिसका उत्तर 05.08.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में यथानिर्दिष्ट विवरण ।

जून 2020 से जून, 2022 तक आयोजित ई-लोक अदालतों के ब्यौरों को दर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य प्राधिकरण का नाम	पूर्व-मुकद्दमेबाजी मामले		न्यायालयों में लंबित मामले		योग	
		लिए गए	निपटाए गए	लिए गए	निपटाए गए	लिए गए	निपटाए गए
1	आंध्र प्रदेश	659	212	22,058	15,486	22,717	15,698
2	अरुणाचल प्रदेश	141	18	67	23	208	41
3	बिहार	58,182	17,469	9,023	3,078	67,205	20,547
4	छत्तीसगढ	13,052	7,739	13,443	8,138	26,495	15,877
5	गोवा	0	0	170	65	170	65
6	गुजरात	46,189	3,521	37,738	20,945	83,927	24,466
7	हरियाणा	3,755	3,625	9,565	4,985	13,320	8,610
8	हिमाचल प्रदेश	130	59	416	244	546	303
9	जम्मू-कश्मीर	2,281	1,575	8,923	6,291	11,204	7,866
10	झारखंड	1,81,033	1,17,468	58,832	37,411	2,39,865	1,54,879
11	कर्नाटक	20,558	11,885	2,98,476	1,73,188	3,19,034	1,85,073
12	केरल	3,985	986	35,541	25,271	39,526	26,257
13	मध्य प्रदेश	3,661	312	36,592	8,385	40,253	8,697
14	महाराष्ट्र	1,57,34,249	35,13,112	16,67,214	3,45,445	1,74,01,463	38,58,557
15	मणिपुर	881	738	172	91	1,053	829
16	मेघालय	133	33	25	8	158	41
17	मिजोरम	1,856	283	168	47	2,024	330
18	ओड़िशा	23,806	1,143	24,272	4,236	48,078	5,379
19	पंजाब	5,327	536	9,387	6,639	14,714	7,175
20	राजस्थान	36,725	6,438	57,865	29,674	94,590	36,112
21	सिक्किम	877	241	198	55	1,075	296
22	तेलंगाना	887	862	12,450	10,408	13,337	11,270
23	त्रिपुरा	2,350	505	1,472	169	3,822	674
24	उत्तर प्रदेश	2,01,350	1,33,924	62,972	39,738	2,64,322	1,73,662
25	उत्तराखंड	3,591	408	12,168	4,210	15,759	4,618
26	पश्चिमी बंगाल	15,654	1,924	11,867	8,777	27,521	10,701
27	चंडीगढ़	0	0	70	12	70	12
28	दिल्ली	14,439	11515	95,489	81,964	1,09,928	93,479
	कुल योग	**1,63,75,751**	**38,36,531**	**24,86,633**	**8,34,983**	**1,88,62,384**	**46,71,514**

****